

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / १०।२
दिनांक : २०-११-२०२०

01. सेवा में,
प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक / सचिव
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान,
वी० चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

02. समस्त विभागाध्यक्ष / निदेशक / सञ्चालक
वी० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

विषय-आर्थिक / बैंकिंग / वित्तीय विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार
योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि डॉ० आलोक कुमार श्रीवास्तव, सहायक
प्रबन्धक (राजभाषा) अनुलग्नक-02 ने पत्र दिनांक 26.10.2020 द्वारा आर्थिक / बैंकिंग / वित्तीय विषयों
पर हिन्दी में मूल व उत्कृष्ट लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शीर्षांकित
पुरस्कार योजना के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय / संस्थान के कार्यरत / सेवानिवृत्त प्रोफेसरों (एसोसिएट
एवं सहायक प्रोफेसरों सहित) को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया है।

तत्काल में मा० कुलपति जी के आदेशानुसार मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि
कृपया उक्त के सम्बन्ध अद्यतन कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि -

01. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
03. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

राजभाषा विभाग

आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए

पुरस्कार योजना - आवेदन आमंत्रित करना

अर्थशास्त्र/बैंकिंग/वित्तीय विषयों में मूल व उत्कृष्ट लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार' नाम की योजना शुरू की गई है। इस योजना के लिए नामांकन आमंत्रित करने के मानदंड इस प्रकार हैं:-

1) पात्रता:

- (क) भारतीय विश्वविद्यालयों (यूजीसी मान्यता प्राप्त) के कार्यरत/सेवानिवृत्त प्रोफेसर (सहायक और एसोसिएट, आदि सहित), जिन्होंने आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में न्यूनतम 200 पृष्ठों की कम से कम एक पुस्तक लिखी हो, इस योजना के अधीन पुरस्कार के पात्र होंगे।
- (ख) उपर्युक्त (क) में शामिल विषयों पर लिखी गई पुस्तक 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के बीच प्रकाशित होनी चाहिए तथा उस पर पुरस्कार हेतु विचार किया जाएगा।
- (ग) लगातार 2 वर्षों तक पुरस्कृत लेखक को तीसरे वर्ष कूलिंग पीरियड में रखा जाएगा। चौथे वर्ष पुनः वह योजना में भाग लेने के लिए पात्र होगा।

2) मूल्यांकन समिति:

- (क) विश्वविद्यालयों में कार्यरत अर्थशास्त्र/बैंकिंग/वित्तीय विषयों के 2 (दो) प्रोफेसर और हिन्दी साहित्य/भाषा विज्ञान के 1 (एक) प्रोफेसर; इनमें वरिष्ठतम प्रोफेसर समिति के अध्यक्ष होंगे।
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, राजभाषा विभाग के महाप्रबंधक समिति के सदस्य-सचिव होंगे।
- (ग) भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, राजभाषा विभाग समिति के लिए सचिवालय का काम करेगा।

3) मूल्यांकन विधि:

- (क) आवेदकों से विचारार्थ प्राप्त पुस्तक/के) अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों को प्रेषित की जाएगी।
- (ख) अर्थशास्त्र/बैंकिंग/वित्तीय क्षेत्र के प्रोफेसर इसकी विषय-वस्तु की जांच करेंगे और हिन्दी साहित्य/भाषा विज्ञान के प्रोफेसर इसकी भाषा-शैली की जांच करेंगे।
- (ग) विषय वस्तु पर 60% और भाषा शैली पर 40% वेटेज होगा।

4) पुरस्कारों की संख्या: अधिकतम 3 (तीन)।

5) पुरस्कार राशि: प्रत्येक पुरस्कार - ₹1,25,000.00 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) का होगा।

इस योजना में भाग लेने के इच्छुक सभी प्रोफेसरों से अनुरोध है कि वे अपना नामांकन निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में प्रत्येक पुस्तक की 5 प्रति के साथ हमें 27 नवंबर 2020 तक भिजवाने की व्यवस्था करें। देरी से प्राप्त/अधूरी प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी। पुरस्कार के संबंध में लिया गया निर्णय बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर अपलोड किया जाएगा तथा विजेताओं को व्यक्तिगत रूप से भी सूचित किया जाएगा। इस संबंध में आवेदकों से और कोई सीधा पत्राचार नहीं किया जाएगा। ये पुरस्कार हर वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित वार्षिक राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदान किए जाएंगे।





भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

राभा. कान. सं. 28/08.32.00/2020-21

26 अक्टूबर 2020

कुलपति
बौध्दी चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ - 250004

महोदय/ महोदय,

अर्थशास्त्र/ बैंकिंग/ वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौखिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना

अर्थशास्त्र/ बैंकिंग/ वित्तीय विषयों पर हिंदी में मूल व उत्कृष्ट लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शीर्षांकित पुरस्कार योजना चलाई जाती है। इस पुरस्कार योजना से संबंधित जानकारी तथा आवेदन पत्र का प्रारूप अनुबंध के रूप में संलग्न है।

2. इस वर्ष इस योजना के अंतर्गत नामांकन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2020 है। आपसे अनुरोध है कि इस योजना से अपने विश्वविद्यालय/ संस्थान के कार्यरत/ सेवानिवृत्त प्रोफेसर्स (एसोसिएट एवं सहायक प्रोफेसर्स सहित) को अवगत कराने का कष्ट करें। योजना से संबंधित जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के <https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/PressReleases.aspx?ID=42294> लिंक पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,

(**डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव**)
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
अनुलग्नक - 02